रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, शुक्रवार, 26 अप्रैल, 1974
वैशाख 6, 1896 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 1233/17-वि-1-80-73

लखनऊ, 26 अप्रैल, 1974

विज्ञप्ति

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित भूमि अर्जन (उत्तर प्रदेश संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, 1974 पर दिनांक 24 अप्रैल, 1974 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, 1974 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

भूमि अर्जन (उत्तर प्रदेश संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 1974

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, 1974)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ।]

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 का अग्रेतर संशोधन करने और उक्त अधिनियम के अधीन कतिपय भूमि अर्जन का वैधीकरण करने के लिए ।

अधिनियम

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रसार

1—(1) यह अधिनियम भूमि अर्जन (उत्तर प्रदेश संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 1974 कहलायेगा ।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

अधिनियम संख्या 1, 1894 की धारा 4 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 में—

(1) उपधारा (1) में शब्द "और" तथा शब्द "कलेक्टर" के बीच में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय और सदैव से बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात्—

"सिवाय किसी ऐसी भूमि की दशा में जिस पर धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन राज्य सरकार के निदेश के आधार पर धारा 5-क के उपबन्ध लागू न होंगे ।"

(2) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय और दिनांक 16 अक्तूबर, 1958 से बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात्—

"स्पष्टीकरण—उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 में यथा परिभाषित किसी विनियमित क्षेत्र में किसी भूमि के सम्बन्ध में, उस क्षेत्र के

जिसमें भूमि स्थित हो, सुनियोजित विकास के लिए योजना तैयार किये जाने और उसे अन्तिम रूप दिये जाने की पूर्वाशा में इस उपधारा के अधीन अधिसूचना जारी की जा सकती है, और धारा 5-क में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी अधिसूचना में प्रस्तावित विकास के ब्योरों के अग्रेतर विवरण के बिना यह निर्दिष्ट करना पर्याप्त होगा कि उस क्षेत्र के सुनियोजित विकास के लिए भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता होने की संभाव्यता है ।"

अधिनियम संख्या 1, 1894 की धारा 17 (4) का संशोधन

3--उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में, धारा 17 की उपधारा (4) में, शब्द, कोष्ठक तथा अंक "उपधारा (1) या उपधारा (2)" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक तथा अंक "उपधारा (1), उपधारा (1-क) या उपधारा (2)" रख दिये जायं।

अधिनियम संख्या 1, 1894 में नई धारा 32-क का बढ़ाया जाना

4--मूल अधिनियम की धारा 32 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्--

"लेखा मद्दे" भुगतान

" 32-क--(1) यदि कलेक्टर की राय में, धारा 11 के अधीन अधिनिर्णय देने में विलम्ब होने की सम्भावना है और भूमि पर धारा 17 के अधीन कब्जा ले लिया गया है तो कलेक्टर, हितबद्ध व्यक्ति को, प्रतिकर के रूप में अवधारित अथवा अवधारित की जा सकने वाली धनराशि के दो-तिहाई तक का "लेखा मद्दे" भुगतान कब्जा लेने के अधिक से अधिक 6 मास में अवश्य करेगा ।

(2) उपधारा (1) में अभिदिष्ट "लेखा मद्दे" भुगतान इस अधिनियम के अधीन देय प्रतिकर का भाग समझा जायगा और उसमें से उसकी कटौती की जायगी तथा उसके प्रति उसे समायोजित किया जायगा।

(3) उन मामलों में जिनमें भूमि सुधार आयुक्त के अधियाचन पर धारा 18 के अधीन अभिदेश किया गया हो, धारा 31 के उपबन्ध इस परिष्कार के अधीन लागू होंगे कि उक्त धारा के अधीन निविदत्त किया गया संदाय प्रतिकर धनराशि का उतना भाग होगा जो विवादग्रस्त न हो।"

कतिपय अर्जन का वैधीकरण

5--किसी न्यायालय के किसी प्रतिकूल निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी--

(क) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व मूल अधिनियम के अधीन किया गया अथवा किये जाने के लिए तात्पर्यित कोई भूमि अर्जन, और ऐसे अर्जन के सम्बन्ध में की गयी कोई कार्यवाही अथवा किया गया कोई कार्य (जिसके अन्तर्गत दिया गया कोई आदेश, किया गया कोई अनुबन्ध, प्रकाशित अधिसूचना या की गयी घोषणा भी है) केवल इस आधार पर विधि-अमान्य न समझा जायगा, कि--

(1) किसी ऐसी भूमि की दशा में जिस पर धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन राज्य सरकार के निदेश के आधार पर धारा 5-क के उपबन्ध लागू न होंगे, कलेक्टर ने धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के सारांश की लोक-सूचना परिक्षेत्र में सुविधाजनक स्थानों पर नहीं दिलवायी, या

(2) मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना में, जिसमें यह वर्णित हो कि उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 में यथा परिभाषित किसी विनियमित क्षेत्र में किसी भूमि के, ऐसे क्षेत्र के जहां भूमि स्थित हो, सुनियोजित विकास के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता होने की सम्भावना है, पर्याप्त ब्योरों के साथ लोक प्रयोजन इंगित नहीं है अथवा ऐसी अधिसूचना जारी किये जाने के समय तक प्रस्तावित विकास योजना तैयार नहीं की गयी थी अथवा उसे अन्तिम रूप नहीं दिया गया था और इस प्रकार वह भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध नहीं थी,

(ख) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित किसी ऐसी अधिसूचना के अनुसरण में कोई अर्जन इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् किया जा सकता है, और इस प्रकार प्रारम्भ होने के पूर्व अथवा पश्चात् किया गया ऐसा अर्जन और ऐसे अर्जन के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही या किया गया कार्य (जिसके अन्तर्गत दिया गया कोई आदेश, किया गया अनुबन्ध, प्रकाशित अधिसूचना या की गयी घोषणा भी है) के खण्ड (क) में अभिदिष्ट किसी आधार पर विधि-अमान्य न समझा जायगा।

निरसन तथा अपवाद

6--(1) भूमि अर्जन (उत्तर प्रदेश संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, 1974, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी कोई बात अथवा किया गया कोई कार्य, इस अधिनियम के अधीन की गई बात अथवा किया गया कार्य समझा जायगा मानो यह अधिनियम सभी सारवान समयों पर प्रवृत्त था।

No. 1233 (2) /XVII-V-I–80-73

Dated Lucknow, April 26, 1974

In pursuance of the provision of Clause (3) of Article 348, of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Bhoomi Arjan (Uttar Pradesh Sanshodhan tatha Vaidhikaran) Adhiniyam, 1974 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 8 of 1974) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on April 24, 1974 :

THE LAND ACQUISITION (UTTAR PRADESH AMENDMENT AND VALIDATION) ACT, 1974

(U. P. Act no. 8 of 1974)

(*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*)

AN
ACT

further to amend the Land Acquisition Act, 1894 in its application to Uttar Pradesh and to validate certain acquisition of land under the said Act.

It is hereby enacted in the Twenty-Fifth Year of the Republic of India as follows :

Short title and extent.

1. (1) This Act may be called the Land Acquisition (Uttar Pradesh Amendment and Validation) Act, 1974.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

Amendment of section 4 of Act I of 1894.

2. In section 4 of the Land Acquisition Act, 1894, as amended in its application to Uttar Pradesh (hereinafter referred to as the principal Act) —

(i) in sub-section (1), between the words "and" and "the Collector", the following shall be *inserted* and be deemed always to have been *inserted*, namely—

"except in the case of any land to which by virtue of a direction of the State Government under sub-section (4) of section 17, the provisions of section 5-A shall not apply," ;

(ii) *after* sub-section (1), the following Explanation thereto shall be *inserted* and be deemed to have been *inserted* with effect from October 16, 1958, namely—

"*Explanation*—In respect of any land in a regulated area as defined in the Uttar Pradesh (Regulation of Building Operations) Act, 1958, a notification under this sub-section may be issued in anticipation of the preparation and finalisation of a scheme for the planned development of the area in which the land is situated, and notwithstanding anything contained in section 5-A, it shall be sufficient to specify in such notification that the land is needed or is likely to be needed for the planned development of that area without further specification of the particulars of the proposed development."

Amendment of section 17 (4) in Act I of 1894.

3. In its application to Uttar Pradesh, in section 17, sub-section (4), *for* the words, brackets and figures "sub-section (1) or sub-section (2)", the words, brackets and figures "sub-section (1), sub-section (1-A) or sub-section (2)" shall be *substituted*.

Insertion of new section 32-A in Act I of 1894.

4. *After* section 32 of the principal Act the following section shall be *inserted*, namely—

'On account' payment.

"32-A. (1) Where, in the opinion of the Collector, there is likely to be delay in the making of award under section 11, and possession of the land has been taken under section 17, the Collector shall not later than the expiry of six months from the taking of possession, make 'on account' payment to the person interested up to two-thirds of the amount determined or likely to be determined as compensation.

(2) The 'on account' payment referred to in sub-section (1) shall be deemed to be part of the compensation payable under this Act and shall be deducted and adjusted against the same.

(3) In cases where a reference has been made under section 18 on the requisition of the Land Reforms Commissioner the provisions of section 31 shall apply subject to the modification that the payment tendered under that section shall be of so much of the compensation amount as is not in dispute."

Validation of certain acquisition.

5. Notwithstanding any judgment, decree or order of any court to the contrary—

(*a*) no acquisition of land made or purporting to have been made under the principal Act before the commencement of this Act and no action taken or thing done (including any order made, agreement entered into, notification published or declaration made) in connection with such acquisition shall be deemed to be invalid merely on the ground—

(i) in the case of any land to which by virtue of the direction of State Government under sub-section (4) of section 17, section 5-A shall not apply, that the Collector has not caused public notice of the substance of notification under sub-section (1) of section 4 to be given at convenient places in the locality ; or

(ii) that the notification under sub-section (1) of section 4 of the principal Act stating that any land in any regulated area as defined in the Uttar Pradesh (Regulation of Building Operations) Act, 1958 was needed or likely to be needed for the planned development of the area in which the land is situated did not indicate the public purpose with sufficient particularity or that the proposed plan of development had not been prepared or finalised by the time of the issue of such notification and was as such not available for inspection by persons interested in the land ;

(*b*) any acquisition in pursuance of any such notification published under sub-section (1) of section 4 of the principal Act before the commencement of this Act may be made after such commencement, and no such acquisition and no action taken or thing done (including any order made, agreement entered into, notification published or declaration made), whether before or after such commencement, in connection with such acquisition shall be deemed to be invalid merely on any ground referred to in clause (*a*).

Repeal and saving.

6. (i) The Land Acquisition (Uttar Pradesh Amendment and Validation) Ordinance, 1974, is hereby repealed.

(ii) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act, as if this Act was in force at all material times.

U.P. Ordinance no. 1 of 1974.

आज्ञा से,
कैलाश नाथ गोयल,
सचिव ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 40 (राजपत्र) एम० सी० नं० 228 1974—2065+100 (मे०) ।